

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1119/ग्यारह-7(23)/83-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(163)-2016
लखनऊ, दिनांक: 26 अगस्त, 2016

अधिसूचना

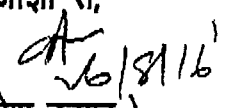
चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-252/ग्यारह-7(23)/83-उ0प्र0अध्या0-37-2008-आदेश-(4)-2008 दिनांक 1 फरवरी, 2008 में दिनांक 27 फरवरी, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, स्तम्भ 2 तथा 3 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	माल/व्यक्तियों के वर्ग का विवरण	शर्त/निबन्धन
1	2	3
	(घ) उत्तर प्रदेश पी0ए0सी0 द्वारा स्थापित व संचालित कैटीन।	(घ) यदि कमान्डेन्ट की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो कि माल उत्तर प्रदेश के पी0ए0सी0 कर्मियों को विक्रय के लिये तात्पर्यित है।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।